बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक –के०नि०स०–27 / प्रा०–70 / 18 4239 (E) दिनांकः– 19/6/18

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना,
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लि०, पटना,
नोडल पदाधिकारी, ओ०पी०आर०एम०सी० कोषांग,
निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना,
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– दिनांक–26.02.2018 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित संपन्न बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा के उपायों को प्रभावी करने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया है इस संबंध में पथ निर्माण विभाग से संबंधित बिन्दुओं को चिन्हित किया गया है, जिसकी सूची संलग्न है।

अतएव सड़क सुरक्षा से संबंधित बिन्दुओं का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/6/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– के०नि०स०–27 / प्रा०–70 / 18 4239 (E) दिनांक– 19/6/18

प्रतिलिपिः – श्री ए०के० मिश्रा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0–63, प्रथम तल्ला, राजेश कुमार पथ, श्री कृष्णापुरी, पटना–800001 को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इससे संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

19/6/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक–26.02.2018 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेश का अनुपालन बिन्दु पथ निर्माण विभाग /भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित निम्नलिखित है:–

1. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु Short Term, Medium Term और Long Term योजनाओं एवं कार्यक्रमोंको त्वरित गति से लागू किया जाय।
2. पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा राष्ट्रीय उच्च पथ की सभी एजेन्सियों को निदेश दिया गया कि भविष्य में कोई भी नया पथ निर्माण बिना रोड सेफ्टी ऑडिट के नहीं किया जाय एवं सड़क सुरक्षा के सभी मानकों को प्राक्कलन में ही शामिल किया जाय तथा इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
3. वर्त्तमान सड़कों की रोड सेफ्टी ऑडिट पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग अपने स्तर से करवाना सुनिश्चित करेंगे।
4. NH एवं SH के वैसे महत्वपूर्ण स्थल, जहाँ–जहाँ आबादी का धनत्व ज्यादा है तथा अगल–बगल गाँव, स्कूल अथवा बसावट हो एवं आम नागरिक अपनी रोजी–रोटी या जीविका के उद्देश्य से सड़क पार करते हो, वैसे स्थानों पर रैम्प आधारित फुट ओवरब्रिज (Foot Over Bridge) एवं Under pass का निर्माण कराया जाय।
5. अपने–अपने जिले की सड़कों के Black Spot एवं पूर्व के दुर्घटना स्थलों एवं दुर्घटना प्रवण स्थलों को अध्ययन कर उन्हें चिन्हित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार रोड साईनेज, फुट ओवरब्रिज एवं अन्डर पास हेतु जगह चिन्हित करते हुए संबंधित सड़कों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के सहयोग से इनके परिमार्जन एवं सुधार का कार्य करेंगे।
6. पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग 03 माह के भीतर सभी महत्वपूर्ण सड़कों पर रोड सुरक्षा से संबंधित आवश्यक संकेतक, सचेतक एवं आदेशात्मक चिन्हों को अधिष्ठापित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सकें।
7. चिन्हित 124 Black Spots के परिमार्जन एवं इन्हें दुर्घटना रहित बनाने के लिए वहाँ सड़क में सुधार, प्रॉपर साईनेज, सड़कों का चौड़ीकरण, डिवाईडर आदि का निर्माण कराया जाय तथा वहाँ स्थानीय जन–जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाया जाय। इन कार्यक्रमों में स्थानीय जन प्रतिनिधि यथा सरपंच, मुखिया, प्रखण्ड प्रमुखों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाय।